न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-12/2015

चोखूराम पुत्र स्व0 [illegible] जाति बलाई निवासी ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर(राज0)

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- देशराज पुत्र स्व0 हंसराज उम्र-3 वर्ष जाति बलाई निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता प्रेमदेवी पत्नी स्व0 हंसराज जाति बलाई निवासीनी हाल आबाद ग्राम शाहपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

2- प्रेमदेवी पत्नी स्व0 हंसराज उम्र-25 वर्ष जाति बलाई निवासीनी हाल आबाद ग्राम शाहपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

सत्यमेव जयते

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16-12-2014 द्वारा सहायक कलक्टर, सीकर।

Web Copy Not Official

---0---

उपस्थिति-

1- श्री दुर्गादत्त सूद एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बजरंगलाल शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 14.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया आराजी खसरा नं0 2715 रकबा 1.07 हैक्ट ख0नं0 2716 रकबा 1.06 हैक्टर, ख0नं0 2737 रकबा 0.82 हैक्टर, ख0नं0 2738 रकबा 0.87 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 3.82 हैक्टर ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। जिसके पुराने ख0नं0 1416 रकबा 7 बीघा 12

बिस्वा, ख0नं0 1416मीन ख0नं0 1466 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 1483 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 1482 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है ।

हाल ख0नं0 387, 391, 392, 393, 394, 408, 409, 410, 411, 415 416, 417, 418, 419, 420 कुल किता-15 रकबा 4.68 हैक्टर ग्राम रानोली तहसील दांतारामगढ में स्थित है जिसके पुराने ख0नं0 338, 339, 340, 351 कुल किता-5 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जिसमें हमारा 1/10 हिस्सा व ख0नं0 2715, 2716, 2737, 2738 कुल किता-4 रकबा 3.82 हैक्टर में 1/5 हिस्से दर्ज है शेष अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है जिनका कोई विवाद नहीं है। जिसके कारण उन्हे प्रकरण मे पक्षकार भी नही बनाया है ।उक्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या-1 से 3 की पैत्रिक कृषि भूमिया है । उक्त आराजी का खाता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज डूंगा के नाम से था डूंगा के देहान्त के पश्चात उपरोक्त भूमिया विरासत के आधार पर अप्रार्थी संख्या-1 को विरासत मे प्राप्त हुई है । वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0-1 से 3 की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमिया है। जिस पर पक्षकार अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या-1 से 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है । तथा उन पर हिन्दू विधि लागू होती है । जिसके अनुसार उक्त पैतृक आराजी मे प्रार्थीगण का जन्मजात ही हिस्सा निश्चित है । प्रार्थी संख्या-1 के पिता व 2 के पति हसराम का देहान्त हो चुका।उक्त आराजी मे आवेदन की मद संख्या-2 मे वादीगण के पिता का जन्मजात रूप से अप्रार्थी संख्या-1 के 1/5 हिस्से में से 1/4 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में से 1/40 हक हिस्सा तथा मद संख्या-3 में 1/10 हक हिस्से में से 1/4 अर्थात सम्पूर्ण में से 1/40 हक हिस्सा है ।किन्तु उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड अप्रार्थी संख्या-1 के नाम होने से वह उक्त आराजीयात को अनुचित लाभ उठाकर हस्तान्तरित व प्रभारित करने पर आमादा है । जिसके बारे में दि0 7-1-2014 को अप्रार्थी संख्या-1 तीन चार अजनबी भू-माफियाओं के साथ आया तथा विवादित आराजी दिखाकर उनके साथ विक्रय का सौदा करने लगा । तब

मेरे नाम से दर्ज है इसको मैं बेच कर रहूंगा ।जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को दौराने वाद विक्रय एवं अन्तरण न करने के लिये पाबन्द किया गया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । दवे में अपीलान्ट ने जबाब एवं आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे । सम्पूर्ण तथ्यों को उजागर करने के पश्चात भी अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट अभी स्वयं जीवित है तथा अपीलान्ट के देहान्त होने पर स्वयं ही अपीलान्ट की सम्पूर्ण भूमि उसके हकदार उत्तराधिकारियों को प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो जायेगी । अपीलांट प्रकरण में हक हिस्से की भूमि के लिये कभी भी इन्कार नहीं किया है । लेकिन रेस्पोडेन्ट ने जो परिस्थितियां पैदा कर दी । बिना कारण ही अपीलान्ट के पुत्र की मृत्यु होने के ~~~~ पश्चात दिनांक 28-1-2014 को जरिये इस्तगासा कोर्ट में एक मुकदमा दहेज का ~~ अपीलान्ट के विरूद्व किया है । अपीलान्ट के पुत्र हंसराज की मृत्यु क्लेम प्राप्त करने के लिये रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को बिना बताये माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष क्लेम याचिका प्रस्तुत की जो न्यायालय में विचाराधीन है ।इस प्रकार से विभिन्न मुकदमों में बिना कारण ही क्लेम याचिका में पक्षकार नहीं बनाया। भूमि पर दावा करना तथा अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना रेस्पोडेन्ट की सोची समझी चाल है तथा वह उत्तराधिकार के तहत दावा करके हक हिस्से की भूमि प्राप्त करके उसे बैचान करने का आशय रखती है। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-2 प्रेमदेवी एक कम उम्र की महिलाहोने के कारण अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दहेज का सामान एवं प्राप्त क्लेम राशी तथा अपने पुत्र उत्तराधिकार में मिलने वाली भूमि आदि को प्राप्त करके अन्य विवाह कर लेगी । ऐसा अपीलान्ट को अंदेशा है। इस कारण ही बेवजह वह अपने ससुला अथक प्रयासों के बावजूद भी नहीं आ रही है। तथा अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या-2 द्वारा अपने पति के देहान्त के 13 दिन बाद ही दहेज का मुकदमा करना, ससुराल नहीं आना इन तथ्यों पर कोई गौर

न कर अपना निर्णय पारित कर एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन है । कानून एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता यदि एक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी अपीलान्ट को ही होती है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 कम उम्र की म महिला है जो अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती तथा अपने पति हंसराज की मृत्यु हो जाने पर उसके क्लेम की राशी एवं उसकी सम्पत्ति को बेचान कर अन्यत्र पुनः शादी कर चली जाने की फिराक मे है ।अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।जबकि विवादित आराजी पैत्रिक है जो अपीलान्ट के देहान्त होने पर यह आराजी अपीलान्ट के वारिसान मे हिस्से अनुसार अपने आप ही दर्ज हो जायेगी । किन्तु रेस्पोडेन्ट के मन में बेईमानी आ गई जिसने अपीलान्ट पर झुठा दहेज का मुकदमा दर्ज कर दिया तथा अपीलान्ट को बिना बताये अपीलान्ट के पुत्र हंसराज के दुघटना का क्लेम का दावा कर दिया । इन सभी तथ्यों पर अदालत मातहत ने कोई गौर ककक न कर अपना निर्णय दिया है जिसमेंएक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में दर्ज पक्षकारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही उन्हे पक्षकार नहीं बनाये जाने का कोई कारण दर्ज किया ।विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रेस्पोडेन्ट के पति हंसराम का जन्म से ही हक हिस्सा है ।उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज रहने से वह इस आराजी को बेचान करने की धमकी देने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने सुनवाई करते हुये उभयपक्षों का पाबन्द किया है कि दौराने वाद विवादित आराजी का विक्रय एवं अन्तरण नहीं करें । इस आदेश से अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है । बल्कि आराजी का अन्तरण एवं विक्रय कर दिया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को अवश्य ही अपूर्णिय क्षति की सम्भावना है ।विवादित आराजी पैत्रिक साबित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन रेस्पो० के पक्ष में है । अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद अपना आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई । राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2069 से 2072 खाता संख्या-65 एवं जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 में खाता सं0 557 में विवादित आराजी मुताबिक सजरा खानदान के पैतृक है।रेस्पोडेन्ट सं0-1 के पति व दो के पिता हंसराम अपीलान्ट बोदूराम का पुत्र था । जिसका देहान्त हो जाने पर उसकी विधवा एवं नाबालिग पुत्र ने दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया ।अदालत मातहत ने अपने निर्णय में विवादित आराजी को पैतृक मानते हुये इस आराजी में खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में गुणावगुण पर किया जाना है। किन्तु मूल वाद तक विवादित आराजी का अन्तरण विक्रय न हो इसके लिये उभसपक्षो को पाबन्द किया है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय विवादित आराजी को उभयपक्षो को अन्तरण एवं विक्रय नहीं करने के लिये पाबन्द किया है ।इस आदेश से पक्षकारों मे ओर अधिक विवादीत व पैचिदगीया नहीं बढेगी तथा मुकदमें बाजी भी नहीं बढेगी ।अदालत मातहत का आदेश उचित एवं

विधिक है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नही मानते है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 16-12-2014 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.6.2018 को सुनाया गया ।

14/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर